संख्या : 1597/IV(1)/2004-02(कुम्भ)/2009

प्रेषक,

अनूप वधावन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
हरिद्वार।

शहरी विकास अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक : 19 जनवरी, 2010

विषयः आगामी कुम्भ मेला, 2010 के अन्तर्गत मुनि की रेती क्षेत्र की अस्थायी पेयजल व्यवस्था हेतु द्वितीय एवं अन्तिम किश्त की धनराशि के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–07/IV(1)/2009–02(कुम्भ)/2009, दिनांक 08.06.2009 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मुनि की रेती द्वारा उक्त कार्य हेतु प्रस्तुत आगणन रू. 42.73 लाख के सापेक्ष तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू. 37.56 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति देते हुए, वित्तीय वर्ष 2009–10 में रू. 20.00 लाख (रू. बीस लाख मात्र) की धनराशि अब तक व्यय हेतु अवमुक्त की जा चुकी है। तत्क्रम में आपके पत्र संख्या 4232/कुम्भ–2010/लेखा–उपयोगिता प्रमाण पत्र, दिनांक 09.01.2010 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उक्त कार्य हेतु समस्त/अवशेष रू. 17.56 लाख (रू. सत्रह लाख छप्पन हजार मात्र) की धनराशि को वित्तीय वर्ष 2009–10 में व्यय किए जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का, पूर्व आहरित धनराशि के पूर्ण उपयोग के बाद ही कोषागार से आहरण किया जाएगा। यदि पूर्व अवमुक्त धनराशि बैंक में रखकर उस पर ब्याज अर्जित हुआ है तो उस समस्त अर्जित ब्याज को राजकोष में ट्रेजरी चालान से जमा करके उसकी फोटोप्रति शासन को अविलम्ब उपलब्ध करवाने का दायित्व मेलाधिकारी का ही होगा।
2. कुम्भ मेला 2010 के समाप्त होने के तत्काल बाद dismantling से प्राप्त होने वाली सामग्री की टी.ए.सी. से संस्तुति के अनुसार आंकलित लागत रू. 8.75 लाख (रू. आठ लाख पिचहत्तर हजार मात्र) या जो भी इससे अधिक प्राप्त धनराशि को समयावधि में जमा करकर शासन को सूचित करने का दायित्व मेलाधिकारी का ही होगा।
3. चूंकि निविदा में प्राप्त एल–1 निविदा (न्यूनतम निविदा) आधार पर स्वीकृत लागत से कम धनराशि व्यय होना सम्भावित है। अतः न्यूनतम सम्भावित व्यय के अनुसार ही कम धनराशि आहरण की जाएगी तथा आहरित धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि बचत होती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा किया जाएगा।
4. उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग कर नियमानुसार उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए जाने के उपरान्त ही शेष धनराशि अवमुक्त किए जाने पर विचार किया जाएगा।
5. अन्तिम किश्त का न्यूनतम निविदा (एल–1) का विवरण देकर उसी के अनुसार ही स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि का ही कोषागार से आहरण किया जाएगा।
6. उक्त कार्य इसी धनराशि से पूर्ण किया जाएगा और आगणन का पुनरीक्षण किसी भी दशा में अनुमन्य न होगा।
7. योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का निकटता से पर्यवेक्षण किया जाए। इसके लिए यथाआवश्यकता, निगरानी समिति का गठन कर लिया जाए।
8. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 की व्यवस्थानुसार निर्धारित प्रारूप पर अनुबन्ध निष्पादन की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाएगी।

..2..

9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2010 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
10. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए संबंधित अधिशासी अभियंता/मेलाधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. उक्त धनराशि का आहरण मेलाधिकारी, हरिद्वार के आहरण वितरण कोड से किया जाएगा।
12. शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध उक्त शासनादेश दिनांक 08.06.2009 के अनुसार यथावत लागू रहेंगे।

2— इस संबंध में होने वाला व्यय शासनादेश संख्या 1614/IV(1)/2009—39 (सा.)/2006—टी.सी. दिनांक 24 नवम्बर, 2009 के द्वारा मेलाधिकारी के निवर्तन पर रखी गई धनराशि रू. 100करोड़ के सापेक्ष आहरित कर किया जाएगा तथा पुस्तांकन तद्स्थान में वर्णित लेखाशीर्षक में किया जाएगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग के अशा.सं. 915/XXVII(2)/2009 दिनांक 13 जनवरी, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनूप वधावन)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 1517 (1)/IV(1)/2009 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा. शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. जिलाधिकारी, हरिद्वार/देहरादून।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
9. वित्त अनुभाग—2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी.ओ. में इसे शामिल करें।
11. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मुनि की रेती ।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अनूप वधावन)
प्रमुख सचिव।